रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 1972/आश्विन 13, 1894

No. 442] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1972/ASVINA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th October 1972

S.O. 642(E)/15/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as M/s. Kerala Lakshmi Mills Ltd. Trichur, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri C. A. Subrahmanyam, 40, Pois Garden, Madras-600086.

Members

2. P. G. Rao, Regional Controller, National Textile Corporation Ltd., 'Green View', 148-IR Chord Road, Rajajinagar, Bangalore-560010.

Shri P. J. Thomas, Managing Director, Kerala State Industrial Development Corporation Ltd., Vellayambalam, Trivandrum-1.

Shri L. D. Venkataraman, Deputy Director of Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, 35, Haddows Road, Madras.

Member Secretary

5. Shri O. S. Krishnamurthy, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, P.B. No. 11500, Bombay-20. — — —

[No. F. 3/39/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1972

का० आ० 642 (अ)/15/आई० डी० आर० ए०/72.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स केरल लक्ष्मी मिल्स लि०, त्रिचर नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अत: अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

अध्यक्ष

1. श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम,
40, पोइस गार्डन,
गोपालपुरम पो० आ०, मद्रास-86 ।

सदस्य

2. श्री पी० जी० राव,
क्षेत्रीय नियंत्रक,
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, "ग्रीन व्यू" 148,
आई आर चोर्ड रोड, राजाजी नगर,
बंगलौर-560010

3. श्री पी० जे० थामस,
प्रबंध निवेशक,
केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०,
वेलायमबलम, त्रिवेन्द्रम-1.

सदस्य

4. श्री एल० डी० वेंकटरामन,
उप-निदेशक,
क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कम्पनी विधि बोर्ड,
35, हैड्रोस रोड, मद्रास ।

सदस्य–सचिव

श्री ओ० एस० कृष्णामूर्ति,
उप–निदेशक,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय पो० बा० सं० 11500,
बम्बई–20.

[सं० फा० 3/39/72-सी० यू० सी०]
के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972